हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

1– मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त उपरोक्त प्रारूप में आवेदन करना होगा।

2– उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217/XXIV–5/2013/2(17)/2008 देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु रुपया 400=00 प्रति प्रश्नपत्र शुल्क का निर्धारण किया गया है। अतः मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी को लेखा शीर्षक–0202 –शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति, 01–सामान्य शिक्षा, 102–माध्यमिक शिक्षा, 02–बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क में प्रत्येक विषय हेतु रुपया 400=00 का ट्रेजरी चालान लगाना होगा।

3– परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रुपया 400=00 प्रति विषय की दर से चालान लगाकर उसकी मूल प्रति संलग्न कर स्वयं अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर जिला नैनीताल को परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त प्रेषित करना होगा। परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं की सभी उत्तरपुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषणा के 6 माह अथवा सन्निरीक्षा परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त विनिष्ट कर दी जाती है। विनिष्टीकरण के उपरान्त उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति चाहने हेतु किये गये किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

4– उपरोक्त संलग्नकों के न होने अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

5– उत्तरपुस्तिका में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनियम 16 ड़, के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा जिसमें उल्लिखित किया गया है कि सन्निरीक्षा से तात्पर्य उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन नहीं है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिका में यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका में क्या अलग–अलग प्रश्न में दिये गये अंकों का योग करने उन्हें अग्रहीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की त्रुटि नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

6– उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति का किसी व्यावसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा।

7– किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्यक्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला नैनीताल होगा।

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया

1– मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त निम्न प्रारूप में आवेदन करना होगा।

परिषदीय परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1– परीक्षार्थी का नाम– ....

परीक्षार्थी का अप्रमाणित फोटो

2– माता का नाम..

3– पिता का नाम–..

4– कक्षा तथा वर्ष–..

5– अनुक्रमांक –...

6– विषय (जिसकी उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करनी है) 1– ....

2– ....3– .... 4– ....

5– ....

7–पत्र व्यवहार का पता–..

....

.... मोबाइल नं0–..............................

8– शुल्क का विवरण–

चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि

मैं..पुत्र/पुत्री श्री.. सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता /करती हूँ कि मै परिषद् से प्राप्त अपनी मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका/ उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन के विषय में परिषदीय विनियमों में विहित प्राविधानों का पालन करूँगा/करूँगी तथा उक्त उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओं को किसी भी प्रकार से प्रकाशित किये जाने हेतु उपयोग नहीं करूँगा /करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर–

नाम–

दिनांक–